रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149]	दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 20, 2004/भाद्र 29, 1926	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 229
No. 149]	DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 20, 2004/BHADRA 29, 1926	[N.C.T.D. No. 229

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचनाएँ

दिल्ली, 20 सितम्बर, 2004

सं. फा./पीए/जेसीओ/आरजीटी/परि०/04/416.—विषय पर जारी इस सरकार की पूर्व अधिसूचनाओं/आदेशों के आंशिक आशोधन तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 12 जून, 1989 की अधिसूचना सं. का.आ. 444(अ) को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा निदेश देते हैं और घोषणा करते हैं कि जनकपुरी-पश्चिमी स्थित वर्तमान पश्चिम क्षेत्र के स्थान पर दो क्षेत्रीय कार्यालय निम्नानुसार होंगे :—

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	जिला कोड
1. जनक पुरी (पश्चिम-I)	4
2. राजा गार्डन (पश्चिम-II)	4क

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 20th September, 2004

No. F./PA/JCO/RGT/Tpt./04/416.—In partial modification of this Government's previous notifications/orders issued on the subject and in exercise of the powers conferred by Sub-section (6) of Section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), and in order to implement the notification No. S.O. 444(E) dated 12th June, 1989 issued by the Government of India, Ministry of Surface Transport, the Lieutenant Governor of the Natinal Capital Territory of Delhi hereby directs and declare that henceforth there shall be two Zonal Offices in place of existing West Zone in Janak Puri as under :—

Name of the Zonal Office	District Code
1. Janak Puri (West-I)	4
2. Raja Garden (West-II)	4A

सं. फा./पीए/जेसीओ/आरजीटी/परि०/04/417.— इस सरकार की दिनांक सितम्बर, 2004 की अधिसूचना सं. फा./पीए/जेसीओ/आरजीटी/परि०/04 के अनुसरण में पश्चिम जिला, जनक पुरी को दो क्षेत्रीय कार्यालयों में विभाजित किया गया है जिसमें जनक पुरी, (पश्चिम जिला-I) तथा राजा गार्डन (पश्चिम जिला-II) क्रमशः क्षेत्र होंगे।

समस्त निवासियों एवं काम करने वाले लोगों से अनुरोध किया जाता है कि वे परिवहन विभाग से संबंधित किसी भी कार्य अर्थात् नए खरीदे गए वाहनों के पंजीकरण, नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, अन्तर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट तथा नए ड्राविंग लाइसेंसों के नवीनीकरण इत्यादि के लिए निम्नानुसार क्रमशः अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में संपर्क करें :—

जनक पुरी क्षेत्र (पश्चिम जिला-I) जनक पुरी, नई दिल्ली	राजा गार्डन (पश्चिमी जिला-II) राजा गार्डन, नई दिल्ली
1. जनक पुरी	आनन्द पर्वत
2. विकास पुरी	मोती नगर
3. तिलक नगर	पटेल नगर
4. उत्तम नगर	पंजाबी बाग
5. राजौरी गार्डन	पश्चिम विहार
6. कीर्ति नगर	नांगलोई
7. हरि नगर	

No. F./PA/JCO/RGT/Tpt./04/417.—In pursuance of the Notification No. F. PA/JCO/RGT/Tpt./04.—Dated the September, 2004 of the Government, West District, Janak Puri has been bifurcated into two zonal offices which shall cover the following area of Janak Puri (West District-I) and Raja Garden (West District-II) zones respectively.

All the residents and the working people are henceforth requested to approach to the new allocated offices for any work related to Transport Department viz. Registration of newly purchased vehicles, new driving licenses, International driving permits and renewal of driving licenses etc. to their respective zonal offices as given below :—

Janak Puri (West District-I) Janak Puri, New Delhi	**Raja Garden (West District-II) Raja Garden, New Delhi.**
1. Janak Puri	Anand Parbat
2. Vikaspuri	Moti Nagar
3. Tilak Nagar	Patel Nagar
4. Uttam Nagar	Punjabi Bagh
5. Rajouri Garden	Paschim Vihar
6. Kirti Nagar	Nangloi
7. Hari Nagar	

सं. फा./पीए/जेसीओ/आरजीटी/परि०/04/418.—परिवहन विभाग की दिनांक 12 जनवरी, 1990 की अधिसूचना सं. एस ई सी ई 4 (4)/90/परि. के तथा 24 फरवरी, 1994 के आदेश संख्या 260—285 के अतिक्रमण में तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 12 जून, 1989 के स्थायी आदेश सं. का.आ. 444(अ) करो क्रियान्वित करने के लिए तथा उपरोक्त अधिसूचना के तुरन्त पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पंजीकरण प्राधिकरणों के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए (क) कोड संख्या अंकों में आबंटित करते हैं, तथा (ख) वाहन कोड संख्यापद में आबंटित करते हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पंजीकरण चिन्ह के अन्तर्गत विभिन्न किस्मों के वाहनों के लिए प्रयुक्त किए जाएं, उन्हें निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट किया गया है :—

(क) क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	**जिला कोड**
1. राजपुर रोड (उत्तर)	1
2. तिलक मार्ग (नई दिल्ली)	2
3. शेख सराय (दक्षिणी)	3
4. जनकपुरी (पश्चिमी-I)	4
5. राजा गार्डन (पश्चिमी-II)	4ए
6. लोनी रोड (उत्तर पूर्वी)	5
7. सराय काले खां (केन्द्रीय)	6
8. आनन्द विहार (पूर्वी)	7
9. अशोक विहार (उत्तर पश्चिमी-I)	8
10. रोहिणी (उत्तर पश्चिमी-II)	8क
11. पालम (दक्षिणी पश्चिमी)	9

(ख) वाहन पहचान के लिए कोड

वाहन की किस्म	**कोड**
■ टू व्हीलर	एस
■ कार, वैन जीप (प्राइवेट)	सी
■ आटो रिक्शा	आर
■ टैक्सी	टी
■ टूरिस्ट टैक्सी	(वाई)
■ डीलक्स टूरिस्ट टैक्सी	जैड
■ रेंट ए कैब	एन
■ मैक्सी कैब	एमसी
■ फटफट सेवा	क्यू
■ रेडियो टैक्सी	आरएक्स
■ ऑटो-मैक्सी कैब	डब्ल्यू
■ हल्के वाहन सामान	एल
■ हल्के यात्री वाहन	वी
■ मध्यम सामान	एम
■ मध्यम यात्री	वी
■ भारी सामान	जी
■ हेवी पैसंजर	पी
■ पिकअप वैन	यू
■ ट्रेक्टर	ई
■ ट्रेलर/फैंसी नम्बर कार	एफ
■ विकलांग वाहन	डी
■ एम्बुलेंस (रोगी वाहन)	ए

मोटर वाहन को पंजीकरण चिन्ह आंबटित करते समय दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोड डी एल के पश्चात् क्षेत्रीय कोड दिया जाएगा तथा उसके पश्चात् वाहन का कोड तथा उसके पश्चात् नम्बर दिया जाएगा जो 9999 (चार अंकों) से अधिक नहीं होगा।

2. जहां पैराग्राफ 1 में उल्लिखित चार अंक 9999 तक पहुंच जाएंगे वहां अगली सीरिज वर्ण 'ए' से शुरु होगी तथा उसके बाद चार से अधिक अंक नहीं होंगे जब तक सारे वर्ण समाप्त नहीं हो जाते।

उपबंध है कि वर्ण अंग्रेजी में होंगे तथा अंक अरबी संख्यापद में होंगे।

3. यह अधिसूचना इसके प्रकाशन की तारीख से तुरंत प्रभावी होगी।

No. F./PA/JCO/RGT/Tpt./04/418.—In supersession of Transport Department Notification No. SECE 4(4)/90/Tpt. dated 12th January, 1990 and order No. 260-285 dated 24th February, 1994, and in exercise of the powers conferred by the Sub-section (6) of Section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), and to implement the standing order No. S.O. 444(E) dated 12th June, 1989 issued by the Government of India, Ministry of Surface Transport and in furtherance of the above said notification, the administrator of the National Capital Territory of Delhi hereby allots the (a) code numbers for zonal offices of the Registering authorities in numerals and (b) vehicle code in alphabets to be used for 5 different types of vehicles under registration mark in the National Capital Territory of Delhi are specified in the tables mentioned below :—

(a) Name of the Zonal Offices	District Code
1. Rajpur Road (North)	1
2.. Tilak Marg (New Delhi)	2
3. Sheikh Sarai (South)	3
4. Janak Puri (West-I)	4
5. Raja Garden (West-II)	4A
6. Loni Road (North)	5
7. Sarai Kale Khan (Central)	6
8. Anand Vihar (East)	7
9. Ashok Vihar (North-West-I)	8
10. Rohini (North-West-II)	8A
11. Palam (South West)	9

(b) Codes for vehicle identification—

Type of Vehicle	Code
Two wheelers	S
Cars, Vans, Jeeps (Pvt.)	C
Auto Rickshaw	R
Taxi	T
Tourist Taxi	Y
Deluxe Tourist Taxi	Z
Rent a cab	N
Maxi Cab	MC
Phat-phat sewa	Q
Radio taxi	RX
Auto-maxi Cab (Eco-friendly sewa)	W
Light goods vehicle	L
Light passenger vehicle	V
Medium goods	M
Medium passenger	B
Heavy goods	G
Heavy passenger	P
Pick up vans	U
Tractor	E
Trailor/Fancy No. for M/Car	F
Invalid carriage	D
Ambulance	A

While allotting registration mark to a motor vehicle, Delhi NCT Code DL will be followed by zonal code and thereafter the code of the vehicle and further a number not exceeding 9999 (four figures.)

2. Where four figures referred to in paragraph 1 each 9999, the next series shall begin with alphabet A followed by not more than four figures and so on until all the alphabets are exhausted.

Provided that the letters shall be in English and figure shall be in Arabic numerals.

3. This notification shall come into force w.e.f. the date of its notification.

सं. फा./पीए/जेसीओ/वीवी/परि./04/419.—विषय पर जारी इस सरकार की पूर्व अधिसूचनाओं/आदेशों के आंशिक आशोधन तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 12 जून, 1989 की अधिसूचना सं. का.आ. 444(अ) को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा निदेश देते हैं और घोषणा करते

हैं कि पालम–दक्षिणी पश्चिमी स्थित वर्तमान पश्चिम क्षेत्र के स्थान पर दो क्षेत्रीय कार्यालय निम्नानुसार होंगे :—

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	जिला कोड
1. पालम (दक्षिण पश्चिम–I)	9
2. वसंत विहार (दक्षिण पश्चिम–II)	9क

No. F./PA/JCO/VV/Tpt./04/419.—In partial modification of this Government's previous notifications/ orders issued on the subject and in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), and in order to implement the notification No. S.O. 444(E) dated 12th June, 1989 issued by the Government of India, Ministry of Surface Transport, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby directs and declare that hence forth there shall be two Zonal Offices in place of existing South West Zone in Palam as under :—

Name of the Zonal Office	District Code
1. Palam (South West-I)	9
2. Vasant Vihar (South West-II)	9A

सं. फा./पीए/जेसीओ/वीवी/परि./04/420.—इस सरकार की दिनांक सितम्बर, 2004 की अधिसूचना सं. फा./पीए/जेसीओ/वीवी/परि./04 के अनुसरण में दक्षिण-पश्चिम जिला, पालम को दो क्षेत्रीय कार्यालयों में विभाजित किया गया है जिसमें पालम, (दक्षिण पश्चिम जिला-I) तथा बसंत विहार (दक्षिण पश्चिम जिला-II) क्रमश: क्षेत्र होंगे।

समस्त निवासियों एवं काम करने वाले लोगों से अनुरोध किया जाता है कि वे परिवहन विभाग से संबंधित किसी भी कार्य अर्थात् नए खरीदे गए वाहनों के पंजीकरण, नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, अन्तर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट तथा नए ड्राइविंग लाइसेंसों के नवीनीकरण इत्यादि के लिए निम्नानुसार क्रमश: अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में संपर्क करें :—

पालम, (दक्षिण पश्चिम जिला-I) पालम, नई दिल्ली	वसंत विहार (दक्षिण पश्चिम जिला-II) बसंत विहार, नई दिल्ली
1. इन्द्रपुरी	वसंत विहार
2. नारायणा	आर. के. पुरम
3. माया पुरी	सरोजनी नगर
4. नजफगढ़	वसंत कुंज
5. कापस हैडा	दिल्ली छावनी
6. डाबडी	
7. जाफरपुर कलां	
8. द्वारका	

No. F./PA/JCO/VV/Tpt./04/420.—In pursuance of the notification No. F. P.A./JCO/VV/Tpt./04-dated the September, 2004 of the Government, South West District, Palam has been bifurcated into two zonal offices which shall cover the following area of Palam (South West District-I) and Vasant Vihar (South West District-II) zones respectively.

All the residents and the working people are henceforth requested to approach to the new allocated offices for any work related to Transport Department viz. Registration of newly purchased vehicles, new driving licenses, International driving permits and renewal of driving licenses etc. to their respective zonal offices as given below :—

Palam (South West District-I) Palam, New Delhi	Vasant Vihar (South West District-II) Vasant Vihar, New Delhi
1. Inderpuri	Vasant Vihar
2. Naraina	R.K. Puram
3. Mayapuri	Sarojini Nagar
4. Najafgarh	Vasant Kunj
5. Kapashera	Delhi Cantt.
6. Dabri	
7. Jafarpur Kalan	
8. Dwarka	

सं. फा./पीए/जेसीओ/वीवी/परि./04/421.—परिवहन विभाग की दिनांक 12 जनवरी, 1990 की अधिसूचना सं. एस ई सी ई 4 (4)/90/परि. के तथा 24 फरवरी, 1994 के आदेश संख्या 260-285 के अतिक्रमण में तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 12 जून, 1989 के स्थायी आदेश सं. का.आ. 444(अ) को क्रियान्वित करने के लिए तथा उपरोक्त अधिसूचना के तुरन्त पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पंजीकरण प्राधिकरणों के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए (क) कोड संख्या अंकों में आबंटित करते हैं तथा (ख) वाहन कोड संख्यापद में आबंटित करते हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पंजीकरण चिन्ह के अन्तर्गत विभिन्न किस्मों के वाहनों के लिए प्रयुक्त किए जाएं, उन्हें निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट किया गया है :—

(क) क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	जिला कोड
1. राजपुर रोड (उत्तर)	1
2. तिलक मार्ग (नई दिल्ली)	2
3. शेख सराय (दक्षिणी)	3

(क) क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	जिला कोड
4. जनकपुरी (पश्चिमी-I)	4
5. राजा गार्डन (पश्चिमी-II)	4ए
6. लोनी रोड (उत्तर पूर्वी)	5
7. सराय काले खां (केन्द्रीय)	6
8. आन्नद विहार (पूर्वी)	7
9. अशोक विहार (उत्तर पश्चिमी-I)	8
10. रोहिणी (उत्तर-पश्चिमी-II)	8क
11. पालम (दक्षिणी-पश्चिमी-I)	9
12. वसंत विहार (दक्षिणी पश्चिमी-II)	9ए

(ख) वाहन पहचान के लिए कोड :

वाहन की किस्म	कोड
* टू व्हीलर	एस
* कार, वैन जीप (प्राइवेट)	सी
* आटो रिक्शा	आर
* टैक्सी	टी
* टूरिस्ट टैक्सी	(वाई)
* डीलक्स टूरिस्ट टैक्सी	जैड
* रेंट ए कैब	एन
* मैक्सी कैब	एमसी
* फटफट सेवा	क्यू
* रेडियो टैक्सी	आरएक्स
* ऑटो-मैक्सी कैब	डब्ल्यू
* हल्के वाहन सामान	एल
* हल्के यात्री वाहन	वी
* मध्यम सामान	एम
* मध्यम यात्री	वी
* भारी सामान	जी
* हेवी पैसंजर	पी
* पिक्अप वैन	यू
* ट्रेक्टर	ई
* ट्रेलर/फैंसी नम्बर कार	एफ
* विक्लांग वाहन	डी
* एम्बुलेंस (रोगी वाहन)	ए

मोटर वाहन को पंजीकरण चिन्ह आवंटित करते समय दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोड डी एल के पश्चात् क्षेत्रीय कोड दिया जाएगा तथा उसके पश्चात् वाहन को कोड तथा उसके पश्चात नम्बर दिया जाएगा जो 9999 (चार अंकों) से अधिक नहीं होगा।

2. जहां पैराग्राफ 1 में उल्लिखित चार अंक 9999 तक पहुंच जाएंगे वहां अगली सीरीज वर्ण ए से शुरू होगी तथा उसके बाद चार से अधिक अंक नहीं होंगे जब तक सारे वर्ण समाप्त नहीं हो जाते।

2850 DG/04-2

उपबंध है कि वर्ण अंग्रेजी में होंगे तथा अंक अरबी संख्यापद में होंगे।

3. यह अधिसूचना इसके प्रकाशन की तारीख से तुरंत प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राजीव तलवार, आयुक्त

No. F./PA/JCO/VV/Tpt./04/421.—In supersession of Transport Department Notification No. SECE 4(4)/90/Tpt. dated 12th January, 1990 and Order No. 260-285 dated 24th February, 1994 and in exercise of powers conferred by the sub-section (6) of Section 41 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988), and to implement the standing order No. S.O. 444(E) dated 12th June, 1989 issued by the Government of India, Ministry of Surface Transport and in furtherance of the above said notification, the Administrator of the National Capital Territory of Delhi hereby allots the (a) code numbers for zonal offices of the Registering Authorities in numerals, and (b) vehicle code in alphabets to be used for 5 different types of vehicles under registration mark in the National Capital Territory of Delhi are specified in the tables mentioned below :—

(a) Name of the Zonal Offices	District Code
1. Rajpur Road (North)	1
2. Tilak Marg (New Delhi)	2
3. Sheikh Sarai (South)	3
4. Janak Puri (West-I)	4
5. Raja Garden (West-II)	4A
6. Loni Road (North East)	5
7. Sarai Kale Khan (Central)	6
8. Anand Vihar (East)	7
9. Ashok Vihar (North-West-I)	8
10. Rohini (North-West-II)	8A
11. Palam (South-West-I)	9
12. Vasant Vihar (South West-II)	9A

(b) Codes for Vehicle identification :

Type of Vehicle	Code
Two wheelers	S
Car, Vans, Jeeps (Pvt.)	C
Auto Rickshaw	R
Taxi	T
Tourist Taxi	Y
Deluxe Tourist Taxi	Z

Type of Vehicle	Code
Rent-a-cab	N
Maxi cab	MC
Phat-phat sewa	Q
Radio taxi	RX
Auto-maxi cab (Eco-friendly sewa)	W
Light Goods Vehicle	L
Light Passenger Vehicle	V
Medium goods	M
Medium passenger	B
Heavy Goods	G
Heavy passenger	P
Pick up vans	U
Tractor	E
Trailor/Fancy No. for M/Car	F
Invalid carriage	D
Ambulance	A

While allotting registration mark to a motor vehicle, Delhi NCT code DL will be followed by zonal code and thereafter the code of the vehicle and further a number not exceeding 9999 (four figures).

2. Where four figures referred to in paragraph 1 each 9999, the next series shall begin with alphabet A followed by not more than four figures and so on until all the alphabets are exhausted:

Provided that the letters shall be in English and figure shall be in Arabic numerals.

3. This notification shall come into force w.e.f. the date of its notification.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

RAJEEV TALWAR, Commissioner

स्वास्थ्य विभाग

(कार्यालय निर्वाचन अधिकारी : केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् चुनाव)

(निदेशालय भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी)

अधिसूचना

दिल्ली, 20 सितम्बर, 2004

सं. फा.1(79)/2000/आयु/डीआईएसएम/1640.— दिनांक 19-01-2001 को हुई पिछली अधिसूचना रदद् करते हुए अब केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् (चुनाव 2000) के लिए दिल्ली राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा प्रणाली से एक-एक सदस्य का चुनाव केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1970 के खण्ड (ए) उपधारा (1) धारा 3 के अन्तर्गत निम्न कार्यक्रमानुसार होना है।

1.	मतदाता सूची का निरीक्षण	22-09-04 से 29-09-04
2.	नामांकन पत्र प्राप्त करने की तिथि [नियम 7(ए)]	15-10-04 को 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की छटनी/जांच (नियम 11)	15-10-04 को 3.00 बजे तक
4.	नामांकन पत्रों की वापिसी (नियम 12)	21-10-04 को 3.00 बजे तक
5.	एक से अधिक प्रत्याशी होने की स्थिति में प्रत्याशी के नाम व पते की अधिसूचना [नियम 13(3)]	29-10-04
6.	मत पत्रादि की छपाई [नियम 7(बी)]	29-11-04
7.	हिन्दी, अंग्रेजी तथ उर्दू भाषाओं में प्रसारित विज्ञापंन [नियम 13(ए)]	06-12-04
8.	चुनाव मत-पत्रों का प्रेषण [नियम 7(बी)]	06-01-05
9.	मत पत्र प्राप्त करने (नियम 14-15) तथा मतदान तिथि [नियम 7(डी)]	07-02-05
10.	छटनी एवं मतगणना (नियम 18)	08-02-05
11.	परिणाम की घोषणा (नियम 19)	08-02-05
12.	निर्वाचित व्यक्तियों की अधिसूचना हेतु विस्तृत घोषित परिणामों को मंत्रालय को प्रकाशन हेतु भेजना	18-02-05

दिल्ली राज्य की दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद् से पंजीकृत सदस्य और जिनकी शैक्षणिक योग्यता केन्द्रीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूची में सम्मिलित हो और जो इस चुनाव में भाग लेने की इच्छा रखते हों, वे निर्वाचन पत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से दिनांक 15-10-2004 को 2.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं।

वैद्य नन्द किशोर, निर्वाचन अधिकारी

अरुण बरोका, अतिरिक्त सचिव

DEPARTMENT OF HEALTH

(Office of the Returning Officer : CCIM Elections)

(DIRECTORATE OF INDIAN SYSTEM OF MEDICINE AND HOMOEOPATHY)

NOTIFICATION

Delhi, the 20th September, 2004

No. F. 1(79)/2000/AY/DISM/1640.—The previous notice issued on 19-1-2001 has been cancelled in connection with CCIM Election, 2000 and election for Two Members of Central Council of Indian Medicine to represent Delhi State in respect of Ayurveda (one) and Unani System of Medicine (one) is to be held as per the following programme under clause (a) of sub-section (1) of Section 3 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970.

The following schedule will be for the election of Indian Medicine Central Council :

1.	Inspection of Voters List	22-9-04 to 29-9-04
2.	Receipt of Nomination Papers [Rule 7(a)]	15-10-04 till 3.00 P.M.
3.	Secutiny of Nomination Papers [Rule 11]	15-10-04 at 3.00 P.M.
4.	Withdrawal of Nomination Papers (Rule 12)	21-10-04 till 3.00 P.M.
5.	Notification in Official Gazette of names and addresses of candidates where the number of candidates exceeds the numbers of members to be elected [Rule 13(3)]	29-10-04
6.	Printing, Preparation of envelopes [Rule 7(b)]	29-11-04
7.	Publication of Advertisements in one English, one Hindi and one Urdu language Newspaper [Rule 13(a)]	6-12-04
8.	Dispatch of Voting papers, Declaration Forms and Letter of Intimation etc. [Rule 7(b)]	6-1-05
9.	Receipt of Voting papers (Rule 14-15) and Poll Date [Rule 7(d)]	7-2-05
10.	Scrutiny and Counting of Votes (Rules 18)	8-2-05
11.	Declaration of Results (Rule 19)	8-2-05
12.	Receipt of details of result by the Ministry for publication of names of the elected persons in the Official Gazette.	18-2-05

Members whose names are enrolled in the State Register of Delhi Bhartiya Chikitsa Parishad or Practitioners of Ayurveda and Unani having the qualification as per Indian Medicine Central Council Act Schedules and willing to contest the elections may collect the nomination papers from the office of the undersigned on and before 15-10-04 upto 2.00 P.M.

VAIDYA NAND KISHORE, Returning Officer

ARUN BAROKA, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.